न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुझुनू

पीठासीन अधिकारी– एम0 आर0 बागड़िया
आर0ए0एस0

अपील संख्या– 51 / 2017

1. रामरतन पुत्र बुद्धराम जाति जाट निवासी रामलालपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
2. मनीराम रामरतन पुत्र बुद्धराम जाति जाट निवासी रामलालपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

–अपीलान्ट

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अ.धा. 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखिलाफ आदेश
नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी मुकदमा उनवानी सरकार बनाम मनीराम वगैरा
मु.न. 106 / 2017 अ.धा. 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 11.09.2017

उपस्थितः–

1. श्री मदन सिंह गिल, एडवोकेट———————— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी ,एडवोकेट———————— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

– निर्णय– दिनांक–04.07.2018

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 11.09.2017 मुकदमा नंबर 106 / 2017 बमुकदमा उनवानी सरकार, मनीराम वगैरा अन्तगर्त धारा 91 नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि – ग्राम रामलालपुरा में भूमि खसरा नंबर 80 रकबा 23.95 हैक्टर बजंड़ प्रथम 23.92 बारानी .02 हैक्टर स्थित है। जिसमें से 1.38 हैक्टर भूमि अपीलार्थीगण के पिता काश्त करते थे। अपीलार्थीगण के विरूद्ध 2013 में उक्त भूमि के बाबत पटवारी हल्का ने अतिकमण की रिपोर्ट की जिस पर अदालत मातहत ने प्रकरण

सं0 2/2013 दर्ज कर अपीलार्थीगण को अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया। प्रार्थीगण की जवाबदेही पर अदालत मातहत ने अपने आदेश दिनांक 05.4.2013 के तहत अपीलार्थीगण का पुराना कब्जा मानते हुये एक हैक्टर भूमि नियमन हेतु उप जिलाधीश को सिफारिस की । प्रार्थीगण का 1.38 हैक्टर भूमि पर कब्जा था, इसलिये पटवारी हल्का ने पुनः अतिक्रमण की रिपोर्ट की जिस पर अदालत मातहत ने प्रकरण संख्या 4/2014 दर्ज कर पुनः अपीलार्थीगण को अतिक्रमण का नोटिस दिया जिस पर प्रार्थीगण ने अपने पुराने कब्जा के सबूत प्रस्तुत किये। अदालत मातहत ने प्रार्थीगण का पुराना कब्जा मानकर बेदखल करना उचित नहीं समझा अपने आदेश दिनांक 27.10.2014 के द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही ड्रोप कर प्रार्थीगण का कब्जा नियमन हेतु सिफारिस की। पटवारी हल्का ने सन 2017 मं पुनः उसी भूमि पर अपीलार्थीगण के विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट की। अदालत मातहत ने तथ्यों की जांच किये बगैर ही अपीलार्थीगण को अतिक्रमी मानकर दिनांक 11.09.2017 को बेदखली के आदेश पारित किये हैं,। अदालत मातहत ने पुरानी पत्रावली को नजर अन्दाज करते हुये पुनः अपनी सिफारिस से भिन्न फाईडिंग देकर अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अदालत मातहत अपील सनंबर 106/2017 दिनांक 11.09.2017 निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – ग्राम रामलालपुरा में भूमि खसरा नंबर 80 रकबा 23.95 हैक्टर बजंड़ प्रथम 23.92 बारानी .02 हैक्टर स्थित है। जिसमें से 1.38 हैक्टर भूमि अपीलार्थीगण के पिता काश्त करते थे। अपीलार्थीगण के विरूद्ध 2013 में उक्त भूमि के बाबत पटवारी हल्का ने अतिक्रमण की रिपोर्ट की जिस पर अदालत मातहत ने प्रकरण सं0 2/2013 दर्ज कर अपीलार्थीगण को अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया। प्रार्थीगण की जवाबदेही पर अदालत मातहत ने अपने आदेश दिनांक 05.4.2013 के तहत अपीलार्थीगण का पुराना कब्जा मानते हुये एक हैक्टर भूमि नियमन हेतु उप जिलाधीश को

सिफारिस की । प्रार्थीगण का 1.38 हैक्टर भूमि पर कब्जा था, इसलिये पटवारी हल्का ने पुनः अतिक्रमण की रिपोर्ट की जिस पर अदालत मातहत ने प्रकरण संख्या 4/2014 दर्ज कर पुनः अपीलार्थीगण को अतिक्रमण का नोटिस दिया जिस पर प्रार्थीगण ने अपने पुराने कब्जा के सबूत प्रस्तुत किये। अदालत मातहत ने प्रार्थीगण का पुराना कब्जा मानकर बेदखल करना उचित नहीं समझा अपने आदेश दिनांक 27.10.2014 के द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही ड्रोप कर प्रार्थीगण का कब्जा नियमन हेतु सिफारिस की। पटवारी हल्का ने सन 2017 मं पुनः उसी भूमि पर अपीलार्थीगण के विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट की। अदालत मातहत ने तथ्यों की जांच किये बगैर ही अपीलार्थीगण को अतिक्रमी मानकर दिनांक 11.09.2017 को बेदखली के आदेश पारित किये हैं,। अदालत मातहत ने पुरानी पत्रावली को नजर अन्दाज करते हुये पुनः अपनी सिफारिस से भिन्न फाईडिंग देकर अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अदालत मातहत अपील सनंबर 106/2017 दिनांक 11.09.2017 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पैराकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी ने अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि जो गैर मु0 नदी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है पर अवैध रूप से अतिक्रमण किये जाने पर विधिक प्रकिया के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। हल्का पटवारी नाटास की रिपोर्ट के अनुसार भूमि खसरा नंबर 80 रकबा 23.06 हैक्टर किस्म बा. 3, बंजड प्रथम के 0.90 हैक्टर, खसरा नंबर 110 रकबा 19.82 किस्म गै0मु0 नदी के 0.32 हैक्टर व खसरा नंबर 113 रकबा 77.35 हैक्टर किस्म गै0मु0 नदी के 0.38 हैक्टर रकबे पर मनीराम, रामरतन पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी रामलालपुरा द्वारा ग्वार, मूंगफली एवं बाजरा फसल काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। अपीलार्थीगण का कथन कि पूर्व में वादग्रस्त भूमि पर उसका पुराना कब्जा मानते हुये कार्यवाही ड्रोप की जाकर नियमन की कार्यवाही की गई थी। इस संबंध में पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय 44/2014 दिनांक 27.8.2014 एवं प्रकरण संख्या 2/2013 निर्णय दिनांक 5.4.2013 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णयों द्वारा अपीलांट का भूमि खसरा नंबर 80 पर पुराना कब्जा मानते हुये दोनों में अलग–अलग रकबे पर नियमन की कार्यवाही की सिफारिश की गई है।

शेष भूमि खसरा नंबर 110 रकबा 19.82 किस्म गै0मु0 नदी के 0.32 हैक्टर व खसरा नंबर 113 रकबा 77.35 हैक्टर किस्म गै0मु0 नदी के 0.38 हैक्टर पर अपीलांट का अवैध अतिक्रमण है जो भूमि की किस्म गैर मु0नदी होने के कारण नियमन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गोड़जी का मु0नं0 106/2017 के निर्णय दिनांक 11.9.2017 द्वारा अपीलांट के विरूद्ध भूमि खसरा नंबर 80 ग्राम रामलालपुरा के संबंध में किया गया बेदखली का आदेश निरस्त किया जाता है। शेष भूमि खसरा नंबर 110 एवं 113 की किस्म गै0मु0 नदी होने से नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी का अपीलांट के विरूद्ध जारी बेदखली का आदेश यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू